FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत 3052003 अधिकारी मुकाम कोटा

हरिशंकर बनाम उदयभान

नं. 170 सन् 2015

किस्म मुकदमा दीवानी - 53

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/8/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी वास्ते पेश हुई। प्रतिवादी नं0 6 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी के सम्बंध में वादीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण कोटा में वाद प्रस्तुत रखा है। सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के प्रस्तुत वाद पोषणीय नही है समान विषयवस्तु, समान वादकारण होने से प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि अनावश्यक विवादों से बचा जा सके और न्यायिक आदेशों में एकरूपता रहे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वकीर कर प्रस्तुत वाद को सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के रहते स्टे (सुनवाई) रोकी जावे। वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण कोटा में कोई वाद प्रस्तुत नही कर रखा है बल्कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा विक्रय पत्र को निरस्तीकरण बाबत प्रार्थीया के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है, उससे प्रस्तुत वाद का कोई सम्बंध नही है, प्रस्तुत वाद बंटवारा कृषि भूमि से सम्बंधित है जिसका वाद कारण भिन्न है कोई समरूपता नही है। प्रस्तुत वाद को रोके जाने का कोई ठोस आधार नही है, प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र सर्वथा मेलाफाईड है। प्रार्थना पत्र में जिस वाद का जिक्र कियागया है उसकी प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की गई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया प्रतिवादीनी क्रम 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी की प्रक्रिया के उपरांत बहस प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी वास्ते नियत की गई। दौराने बहस वादीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी में अंकित कथनों को दोहराया एवं प्रतिवादी नं0 6 की ओर से अपने प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी को बहस माने का निवेदन किया गया। बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी नं0 6 की ओर से कथन किया गया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजी के सम्बंध में वादीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण कोटा में वाद प्रस्तुत रखा है। सिविल न्यायालय में जैरकार वाद के प्रस्तुत वाद पोषणीय नही है समान विषयवस्तु, समान वादकारण होने से प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को रोका जाना न्यायहित में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवश्यक है। परन्तु प्रतिवादी नं0 6 की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी के साथ सिविल न्यायालय में जैरकार दावे की प्रति पेश नही की है जिससे सिविल न्यायालय में जैरकार दावे की विषयवस्तु के बारे में जानकारी हो सके। इसके विपरीत वादीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी में कथन किया है कि वादीगण की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश दक्षिण कोटा में कोई वाद प्रस्तुत नही कर रखा है बल्कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा विक्रय पत्र को निरस्तीकरण बाबत प्रार्थीया के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है, उससे प्रस्तुत वाद का कोई सम्बंध नही है, प्रस्तुत वाद बंटवारा कृषि भूमि से सम्बंधित है जिसका वाद कारण भिन्न है कोई समरूपता नही है। चूंकि प्रतिवादी नं0 6 की ओर से दावे की प्रति पेश नही की है जिससे सिविल दावे की विषयवस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त नही होती है एवं प्रतिवादी नं0 6 के कथनों की पुष्टि भी नही होती है। अतः वादीगण की ओर से किया गया कथन उचित प्रतीत होता है कि सिविल न्यायालय में जैरकार वाद विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है जबकि हस्तगत वाद कृषि भूमि के बंटवारा से सम्बंधित है। दोनो जैरकार वाद पत्रों की विषयवस्तु समान नही होने से धारा 10,151 सीपीसी के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होते है। प्रतिवादी नं0 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10,151 सीपीसी सारहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली कायमी तनकीयात वास्ते दिनांक 16/9/25 को पेश हो।	